कोरोना काल में प्रवासी मजदूरों की स्थिति दिल्ली के एक विशेष संदर्भ में

विक्रम
वाणिज्य विभाग
शहीद भगत सिंह कॉलेज संध्या, दिल्ली विश्वविद्यालय

परिचय

प्रवासी मजदूरों की समस्या तेजी से बढ़ रही है आज यह अदृश्य समूह दृश्य होकर कहीं ना कहीं हमें दिखाई पड़ता है कोरोना काल में जब दुनिया देश विपत्ति की स्थिति में है तो उसमे समाज का अदृश्य प्रवासी मजदूर वर्ग कहीं ना कहीं दुनिया को दिखा दिया एक लाचार समूह जिस पर बीते 74 सालों में कोई ध्यान नहीं दिया गया तो वे आज कोविड-19 के वैश्विक आपदा के कारण सभी को दिखाई दिए जब इनके अस्तित्व की बात करें तो इनका अस्तित्व सरकार के भिन्न-भिन्न प्रकार के योजनाओं से यह अछूते हैं ना तो स्थानीय सरकार इनकी कोई समस्या का समाधान करती है ना ही वह सरकार जहां पर यह प्रवासी मजदूर कार्यरत होते हैं बीते दिनों 2020 के देशव्यापी लॉकडाउन में हुए प्रवासी मजदूरों को अन्य समस्याओं का सामना करना पड़ा और यह समस्या उनको कहीं ना कहीं अन्य वर्गों से अलग करती है तो इसी को देखते हुए मैंने अपना यह शोध पत्र तैयार किया है जो कि कोविड-19 दिल्ली जैसे प्रदेश के अंतर्गत 2020 के कोविड महामारी के दौरान प्रवासी मजदूरों की स्थिति का वर्णन करता है और मैंने इस रिसर्च पेपर के माध्यम से समाज के अदृश्य प्रवासी मजदूर वर्ग की समस्याओं को समझने का प्रयास किया है तथा सरकार द्वारा चलाई गई भिन्न भिन्न प्रकार की योजनाएं जिनसे वे वंचित या अभावग्रस्त थे और उनकी समस्याओं का एक गहन चिंतन किया है यह शोध पत्र विशेषकर दिल्ली प्रदेश के प्रवासी मजदूरों पर किया गया है और उनको सरकारी द्वारा घोषित लाभ, उनकी अपेक्षा के अंतर और उसमें कितनी कमियां थी यहां जो सरकारों के द्वारा अलग-अलग प्रकार की सहायता चलाई गई क्या उनसे उनको उचित लाभ प्राप्त हुआ । 200 अलग-अलग स्थानों से पूछने के पश्चात अलग अलग जो भिन्न भिन्न उद्योगी क्षेत्र में रहने वाले या उनके निकट रहने वाले प्रवासी मजदूरों से बातचीत कर मैंने अपने इस शोध को प्रस्तुत किया है कोरोना (कोविड-19 के प्रसार और इसके आगे के प्रकोप को नियंत्रित करने के लिए लागू किए गए अनियोजित लॉकडाउन ने ऐसे लाखों लोगों के जीवन में एक आर्थिक तबाही मचा दी थी जो प्रवासी मजदूर वर्ग अनौपचारिक क्षेत्र मे काम करते है– इनमें न केवल दिहाड़ी मज़दूर हैं बल्कि अनियमित मजदूर जो कि अपना योगदान अर्थव्यवस्था में देते हैं रोजगार-बेरोजगारी सर्वेक्षण 2015-16 के अनुसार] भारत के कुल कार्यबल का 80% से अधिक हिस्सा अनौपचारिक क्षेत्र में कार्यरत हैं[1], इसमें से करीब एक तिहाई कैज़ुअल मजदूर हैं। प्रधानमंत्री के द्वारा 19 मार्च 2020 को दिए गए संबोधन के 24 घंटों के भीतर महानगरों के रेलवे और बस स्टेशनों पर लोगों की भीड़ शुरू हो गई जो लोग कमा नहीं सकते, वे अपने घर जाना चाहते थे, जहां उन्हें कम से कम भोजन और आश्रय तो मिल ही जाएगा अभी तक असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों पर किसी भी सरकार की नज़र नहीं गई। देश में असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों के लिए किसी भी प्रकार का सुरक्षा कवच उपलब्ध ही नहीं है। पीडीएस लाभ प्राप्त करने के लिए शर्त और मुफ्त अलायमेंट पोस्ट को प्रख्यापित किया 80 मिलियन भारतीय जो पीडीएस के घटक नहीं थे। प्रामाणिक इस प्रख्यापन के कार्यान्वयन में अधिक समय लगा। एक

[1] http://thewirehindi.com/115232/corona-lockdown-what-can-be-done-immediately-to-help-vulnerable-population/

सर्वेक्षण लॉकडाउन के दौरान भारत में एक अलग के रास्ते में फंसे लगभग 11]000 प्रवासी कामगारों का पता चलता है कि उनमें से किसी को भोजन प्राप्त नहीं हुआ है सरकार से मिलने वाले राशन में से 70% को पका हुआ भोजन नहीं मिला और इस दौरान 89% लोगों को अपने नियोक्ताओं से कोई भुगतान नहीं मिला जो कि सरकार द्वारा अपील किया गया था।[2]

पृष्ठभूमि

भारत जैसे विकासशील देशों में जहां पर एक बहुत बड़ी जनसंख्या औद्योगिक क्षेत्र में कार्यरत है तथा वह मजदूर जो अपना घर-परिवार छोड़कर एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में शिक्षा और रोजगार हेतु प्रवास करते हैं इनका अस्तित्व मानो हवा की तरह होता है जो किसी को दिखाई नहीं पड़ता आज भी यह पशुता जीवन व्यतीत कर रहे है उनकी आवासीय,भोजन और शिक्षा स्वास्थ्य की कमी इन्हें समाज की आधारभूत सुविधाओं से दूर करती है आजादी के 75 वर्ष बाद तक हम देख सकते हैं की देश के प्रवासी मजदूर आज भी उसी हाल में है जैसे कि वह पहले थे आज भी यह महानगरों में कहीं ना कहीं शोषण के शिकार बनते हैं जोकि इनकी दयनीय स्थिति को दर्शाता है आज भी यह अपने बच्चों की शिक्षा के लिए निम्न सरकारी संस्थानों पर आश्रित रहते हैं जहां पर उनको शिक्षा का स्तर भी अच्छा नहीं मिल पाता साथी स्वास्थ्य सुविधाएं भी इनको निम्न प्रकार की उपलब्ध होती है सुरक्षा की बात करें तो सुरक्षा के पहलू से यह आज भी किसी भी उद्योग क्षेत्र में सुरक्षित महसूस नहीं करते ना ही इनको सुरक्षा के लिए सरकार द्वारा स्कीमों का लाभ प्राप्त होता है इनकी अर्थव्यवस्था में अहम भूमिका होती है जबकि हम प्रवासी जो मजदूर हैं भारत में प्रवासी मजदूर इनके बिना एक वैश्विक भारत की वैश्वीकरण की कल्पना नहीं कर सकते क्योंकि इनका एक महत्वपूर्ण स्थान होता है इनके जीवन के उच्च स्तर की बात करें तो यह अपने जीवन की आधारभूत जरूरत को ही पूरा नही आज भारत में दिन-प्रतिदिन प्रवासी मजदूरों की संख्या बढ़ती जा रही है इसका मुख्य कारण बेरोजगारी गांव में मजदूर मजदूरी की कम दर निम्न शिक्षा निम्न स्वास्थ्य निम्न स्वास्थ्य का स्तर संक्रामक रोग महिलाओं के साथ घरेलू हिंसा बाल मजदूरी की समस्या उनकी जीवन मे अभाव के कारण बना हुआ है इनकी कोई एक स्थाई पहचान नही ही है यहां तक कि सरकार के पास इनसे सबंधित आंकड़े उपलब्ध नही है ना ही इनका कोई खुद का दस्तावेज एवं पहचान नही है जिससे कि समय पर इनको कोई लाभ पहुँचाया जा सके। इसी कारण ये अगर अपना स्वरोजगार एवं व्यवसाय के लिए औपचारिक ऋण लेना चाहते है तो उससे भी ये वंचित रह जाते है क्योंकि इनका कोई स्थायी निवास प्रमाण का अभाव रहता है भारत मे मजबूरो के लिए कानून तो बहुत है लेकिन उनका पालन कुछ ही लोगो तक सीमित है वर्तमान तक न्यूनतम मजदूरी भी लोगो को प्राप्त नही होती यह भी एक विकट समस्या बनी हुई है राजनीतिक आज भी भारत के प्रवासी मजदूर अपने राजनीतिक अधिकारों से वंचित है वे अपने मताधिकार से भी वंचित रह जाते है एक साथ से दूसरे स्थान तक समय समय पर उनका प्रवास होता रहता है जिसके कारण वे अपने स्थाई मताधिकार के अधिकार से वंचित रह जाते है एक अध्ययन के अनुसार 22% मौसमी प्रवासी मजबूरो के पास मतदान के लिए पहचान पत्र तक नही है (2011, अमृता शर्मा और सह लेखक द्वारा मौसमी कामगारों का राजनीतिक समावेश) इसी कारण से वे स्थानीय सरकार या प्रवासित स्थान की सरकारों को सुधारो के लिए अपनी माँग नही रख पाते । प्रवासी मजदूर अपनी अस्थाई पहचान के कारण स्वास्थ्य सुविधाओं एवं सरकार द्वारा चलाए गए योजनाओं का लाभ लेने असमर्थ तक यहाँ तक कि महिला मजदूरों को मातृत्व अवकाश का कोई प्रावधान तक नही है। श्रमिक जो विशेष रूप से ईट भट्टो,टाइल कारखानों में लगे होते है उनका शारीरिक एवम स्वास्थ्य संकट बना रहता है इस तरह के कार्य मे उन्हें विशेष उपकरण की जरूरत होती जोकि उन्हें उपलब्ध करवाया नही जाता (NRCL, 1991) कार्यक्षेत्र पर खतरनाक स्वास्थ्य पर अस साथ ही मजदूर के साथ कोई लिखित अनुबंध, कोई मजदूरी का लिखित समझौता भी नही इसके साथ उन्हें कोई दैनिक काम का प्रावधान नही

[2] https://watson.brown.edu/southasia/news/2020/lockdown-and-migrant-work-distress-india-report-stranded-workers-action-network

जबकि इन सभी के लिए सरकार का विशिष्ट कानून है परंतु प्रवासी मजदूरों से अछूते है यह एक विडंबना है कि लगातार उनका शोषण हो रहा है मजदूर यूनियन है तो लेकिन उनके साथ हो रहे शोषण पर जैसे मजदूरी, समय सीमा, कार्यस्थल पर दुर्घटना, भुगतान विवाद इन सबका निपटारा उन्हें मालिक के मनमानी के अनुसार करना पड़ता है और कोविड 19 के भयावक समय ने प्रवासी मजदूरों और प्रभावित कर दिया।

विस्तार अध्ययन

भारत में कोरोना वायरस महामारी के चलते, विशेष रूप से ग़रीब वर्ग को राहत देने के उद्देश्य से, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 26 मार्च 2020 को 1.7 लाख करोड़ रूपये का एक आर्थिक पैकेज इस तरह के उपाय असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे श्रमिकों को अल्पकाल में सहायता पहुँचाने के लिए घोषणा की एवं लम्बी अवधि के लिए इनकी समस्याओं का हल निकालने के लिए तो समग्र आधार पर ही योजना बनाए जाने की आज अत्यधिक आवश्यकता है फिर भी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत सहायता देने की घोषणा की इस योजना के अन्तर्गत बुजुर्ग, गरीब विधवा और गरीब दिव्यांगों को 3 महीनों तक एक हजार रूपये आर्थिक सहायता देने का निर्णय लिया गया था। बीस करोड़ महिला जनधन खाताधारकों के खातों में तीन महीनों तक हर महीने 500 रूपये जमा किये जाने का प्रवाधान किया गया । पीएम किसान सम्मान निधि के अंतर्गत 2 हजार रूपये की किस्त की राशि 8.7 करोड़ किसानों के खाते में अप्रैल 2020 के पहले सप्ताह में ही अंतरित कर दी गई थी साथ ही, लगभग 80 करोड़ गरीब नागरिकों को तीन महीनों तक 5 किलो गेहूं या चावल और एक किलो दाल मुफ्त उपलब्ध कराए जाने की घोषणा की गई थी साथ ही साथ उज्ज्वला योजना के अन्तर्गत लाभार्थी महिलाओं को तीन महीनों तक मुफ्त में गैस सिलेंडर देने की घोषणा भी की गई । मनरेगा के अंतर्गत दी जा रही मजदूरी को 182 रूपये से 202 रूपये प्रतिदिन कर दिया गया था ताकि मजदूरों को आर्थिक परेशानी का सामना नहीं करना पड़े।

दिल्ली सरकार ने निम्नलिखित घोषणाएं की हैंz%

1. दिल्ली सरकार 72 लाख लोगों को 7.5 किलो राशन मुफ़्त देने का प्रवाधान किया।
2. - दिल्ली के नाइट शेल्टरों में मुफ़्त खाने की व्यवस्था की गई थी जहां कोई भी व्यक्ति जाकर खाना खा सकता था ।
3. - दिल्ली सरकार ने लोगों से पेड-लीव देने की भी अपील की थी .
4. - दिल्ली सरकार विभागों के कॉन्ट्रैक्ट और दैनिक मज़दूरी में काम करने वालों को भी बंद के दौरान पूरा वेतन देने का वचन दिया ।
5. - बुज़ुर्गों, विधवाओं, दिव्यांगों की पेंशन दोगुनी की गई जिससे की उनको आर्थिक सहायता मिल सके .
6. - नाइट शेल्टर के साथ-साथ 325 स्कूलों में खाने की व्यवस्था की गई है इन स्कूलों में करीब 500 लोगों को लंच और डिनर दिया जाएगा ऐसा सरकार का योजना थी .
7. - मीडिया से बातचीत में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बताया कि अब तक दिल्ली सरकार रोज़ाना करीब 20 हज़ार लोगों के खाने की व्यवस्था कर रही थी. यह व्यवस्था बाद में दो लाख लोगों के लिए कर दी गई ।
8. - शेल्टर होम्स की संख्या भी कम थी जहां औद्योगिक कामगार रहते हैं पर शेल्टर ज़्यादा नहीं थी।
9. - रिपोर्ट में दिया गया है कि जनता कर्फ्यू वाले दिन 22 मार्च को ही सभी शेल्टर होम्स में खाने खिलाने के आदेश दे दिए गए थे. आदेश के साथ ही सोसाइटी फॉर प्रमोशन ऑफ यूथ एंड मासेस (एसपीवाईएम) ने अपने 60 शेल्टर गृह में तीन हजार बेघर लोगों के खाने और हाईजीन की व्यवस्था करनी शुरू कर दी थी लेकिन, वो काफी नहीं था ।

भोजन की समस्या

कामगारों और दिल्ली में रह रहे प्रवासियों की इस वक़्त सबसे बड़ी समस्या भूख की थी यानी खाने की कमी की थी | दैनिक मजूदरों के पास दो-तीन दिनों से ज़्यादा राशन का पैसा हाथ में नहीं था और 22 अप्रैल 2020 से लॉकडाउन शुरू हो गया था यह ऐसी स्थिति थी कामगार कहते हैं कि उनके पास से 2 दिन का ही राशन बचा हुआ था और अब तक उनके पास खाने का पैसा ख़त्म हो गया था, वो खाना ढूंढने के लिए ईधर से उधर जा रहे थे सरकार ने जिनके पास राशन कार्ड नहीं था उनके लिए राशन कूपन की व्यवस्था जिसके द्वारा वे सुखा राशन प्राप्त कर सकते थे लेकिन उसके लिए बहुत सारे मजदूरों के पास या तो फोन नहीं था या तो वह किसी अन्य माध्यम से एक राशि (₹100 ,₹50) देकर आसपास की लोगों से रजिस्ट्रेशन करवा रहे थे क्योंकि शिक्षा और साक्षरता और तकनीकी प्रयोग की कमी के कारण योजना का लाभ नहीं उठा पा रहे थे एक सर्वे कहता है कि दिल्ली में 3 में से एक व्यक्ति को ही भोजन का लाभ मिल पा रहा था[3]जैसे ही नाइट शेल्टर्स में खाना देने की घोषणा हुई तो वो लोग शेल्टर्स की तरफ बढ़ने लगे और शेल्टर्स में भीड़ बहुत बढ़ गई. शेल्टर में खाना सीमित होता था तो जो लोग शेल्टर में पहले से मौजूद हैं और जो बाद में आए उनमें झगड़ा भी हुआ |

सरकार ने भोजन की व्यवस्था तो की लेकिन वह भोजन लोगों को पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल रहा था और भोजन का जो प्रकार है वह काफी निम्न प्रकार का भोजन दिखाई पड़ता था | शेल्टर से कई परिवार वापस चले जाते थे एसपीवाईएम के एग्जिक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर राजेश कुमार का कहना है, "हम अपने इलाक़े के आसपास के बेघर लोगों को खाना खिलाने के लिए तैयार थे लेकिन वहां दूसरे इलाक़ों से भी लोग आ गए और सामान कम पड़ गया।

आर्थिक समस्या

प्रवासी मजदूर जो दिल्ली में काम कर रहे थे उनको अचानक जब यह पता चला कि लोकडाउन है तो कुछ लोगों को तो मजदूरी भी नहीं प्राप्त हुई क्योंकि उनका कहना था माहके अंतिम तारीख के कारण उनकी आर्थिक स्थिति भी बहुत खराब हो चुकी थी हमने देखा कि दिल्ली में सरकार ने ₹5000 ऑटो रिक्शा ड्राइवर और कंस्ट्रक्शन वर्कर को उपलब्ध करवाया गया लेकिन कामगार वर्ग प्रवासी मजदूर जिनकी सहायता होनी चाहिए थी वे उन से वंचित रह गए और आर्थिक तंगी के कारण उन्हें आसपास के लोगों से राशन के लिए उधार तथा घर के किराए को चलाने के लिए उन्हें उधार लेना पड़ा क्योंकि और कई लोग तो इस आर्थिक तंगी के कारण भूखे रहे परिवारों में पीड़ा रही लेकिन इनकी सहायता करने वाला कोई नहीं था मजदूरी का घोषणा कर तो दी गई लेकिन वास्तविकता तौर पर देखें तो किसी भी मजदूरों को इसका लाभ नहीं मिला प्रवासी जो भी मजदूर दैनिक आधार पर काम कर रहे थे उन्हें किसी भी प्रकार का वेतन उपलब्ध नहीं करवाया गया |

We cannot make enough money here. We haven't been able to save and lead a comfortable life we had got used to.When the lockdown is lifted and trains become operational, I will go back.....Ram das[4]

प्रवासियों के लिए आश्रय:

प्रवासी श्रमिकों को अस्थायी रूप से आश्रय प्रदान करने के लिए स्टेडियम, सामुदायिक हॉल आदि का उपयोग करने और सामुदायिक फैलाव के जोखिम को कम करने के लिए साबुन और हाथ धोने की अन्य सुविधाएं प्रदान करने की आवश्यकता थी शेल्टर हाउस कहीं ना कहीं दिल्ली में बने तो थे लेकिन उसकी सूचना एक अंतिम पायदान पर बैठे प्रवासी मजदूर तक शायद नहीं थी या इसमें कमी होने के कारण उनमें एक भ्रम बना हुआ था दूसरी समस्या जो देखने को मिली है की जो शेल्टर हाउस थे वहां पर व्यवस्था की कमी दो वर्ष पूर्व राज्य सरकारों ने सुप्रीम कोर्ट को जानकारी दी थी कि इस सेस फ़ंड में 25000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जमा है। इस राशि का इस्तेमाल यदि व्यवस्थित तरीक़े से श्रमिकों के

[3] Lockdown and distress report by SWAN (32-days-and-counting_swan)

[4] Migrant Voices: Stories of India's Internal Migrant Workers During the COVID-19 Pandemic (IHRB)

हॉस्टल बनाने के लिए किया जाए तो श्रमिकों के शहरों से ग्रामों की ओर हो रहे पलायन को रोका जा सकता था । उत्तर पूर्वी दिल्ली में हालात सबसे ज़्यादा ख़राब हैं. कोरोना वायरस को देखते हुए यहां पर राहत शिविर हटा दिये गये हैं. इसके कारण लोगों को अपने पुराने जले हुए और टूटे घरों में लौटना पड़ रहा है. उनके पास खाने-पीने की भी ठीक से व्यवस्था नहीं है. वो एक महीने से ज़्यादा समय से तनावभरे माहौल में रह रहे |शेल्टर्स होम्स में एक समस्या यह भी हुई कि वहां लोगों की भीड़ इतनी बढ़ गई कि लॉकडाउन का सोशल डिस्टेंसिंग का मकसद ही ख़त्म हो गया लॉकडाउन के बाद 5-6 लाख मजदूरों को पैदल घर वापस जाना पड़ा।[5]

सामाजिक सुरक्षा का अभाव :

सबसे पहले, श्रमिक कुछ सामाजिक लाभों और प्रमुख कानून के दायरे से बाहर हो सकते हैं। दूसरा, औपचारिक क्षेत्र में अनौपचारिकता का प्रचलन जिम्मेदारियों को स्थानांतरित करने के परिणामस्वरूप होता है और अंत में, कम निरीक्षण होता है। कुछ अन्य कार्य, जैसे कि असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम और भवन और अन्य निर्माण श्रमिक (रोजगार और सेवा की शर्तें) अधिनियम (1996) भी प्रवासी श्रमिकों से संबंधित हैं, लेकिन विभिन्न कारणों से प्रयोज्यता में सीमित हैं। इसके अलावा, भारत को अभी भी प्रमुख ।LO कन्वेंशन नं। 102 [सामाजिक सुरक्षा (न्यूनतम मानक) कन्वेंशन, 1952], जो अनौपचारिक श्रमिकों सहित सभी श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा कवरेज की गारंटी देता है। असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008, (ए) जीवन और विकलांगता कवर, (बी) स्वास्थ्य और मातृत्व लाभ और (सी) वृद्धावस्था संरक्षण, और केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किसी अन्य लाभ तक सीमित सामाजिक सुरक्षा उपायों को शामिल करता है। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि NCEUS द्वारा प्रस्तावित मसौदा विधेयक, जिसे बाद में श्रम पर स्थायी समिति द्वारा विचार किया गया था, असंगठित श्रमिकों के लिए राष्ट्रीय न्यूनतम सामाजिक सुरक्षा योजना, स्वास्थ्य और मातृत्व लाभ, जीवन बीमा और वृद्धावस्था सुरक्षा के लिए बीपीएल की परिकल्पना की गई थी। 60 साल से ऊपर के कार्यकर्ता। हालांकि, अधिनियम मसौदा विधेयक में कई अन्य प्रावधानों पर चुप है। श्रीवास्तव (2020) ने कहा कि सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के संबंध में, कुछ मूलभूत मुद्दों में शामिल हैं:सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों के राज्य-स्तरीय कार्यान्वयन के संबंध में, कार्यक्रमों के डिजाइन, वित्तपोषण, कवरेज और वितरण राज्यों को राज्यों और यहां तक कि अन्य निकायों के बीच भी भिन्न होते हैं।सरकार द्वारा किए गए आवंटित आवंटित प्रावधान असंगठित श्रमिकों से कई दूर हैं उनका इनके लाभ से कोई वास्ता नहीं है इन को न्यूनतम मजदूरी भी प्राप्त नहीं होती ये भी एक स्थायी समस्या है।

आवश्यक वस्तुओं कीमतें नियंत्रित रखना:

जैसे ही शहरों में अप्रैल 2020 को लॉकडाउन हुआ, घबराहट में की जाने वाली खरीद और जमाखोरी को कम करने के लिए आवश्यक वस्तुओं को नियंत्रित कीमतों पर उपलब्ध कराया जाए (जरूरी नहीं कि सब्सिडी दी जाए).इस उद्देश्य के लिए दुकानों (सरकारी और निजी) के वर्तमान नेटवर्क का उपयोग किया जा सकता है |

प्रवासी मजदूरों के आंकड़ों की समस्या :

सरकार ने योजनाएं तो बना दी या सरकार ने प्रवासी मजदूरों को कुछ राहत देने की कोशिश तो की लेकिन वह कोशिश उनसे प्रवासी मजदूरों से कहीं ना कहीं अछूती रह गई आंकड़ों का ना होना भी एक बड़ी समस्या थी हम देख सकते हैं कि सरकार ने कितने कानून बनाएं मजदूरों के लिए लेकिन इससे यह पता चलता है कि सरकार अभी भी कहीं ना कहीं मजदूरों को जो सुविधाएं देना चाहती थी वह नहीं दे पाए ना तो उनका मजदूरी कार्ड बनता है ना ही उनको कोई सिक्योरिटी स्वास्थ्य सुविधाएं या उनका कोई रजिस्ट्रेशन आजादी के 70 वर्ष बाद तक भी नहीं देखा गया जहां पर सरकार के पास कितने प्रवासी मजदूर है और कितने प्रवासी मजदूर यहां कार्यरत है तो अभी तक सरकार के पास कोई संपूर्ण आकड़े इसको लेकर नहीं है यह सरकार की असफलता

[5] https://www.bhaskar.com/business/news/novel-coronavirus-covid-19-india-impact-updates-narendra-modi-govt-on-migrant-workers-database-for-corona-relief-package-127144089.html

को दर्शाता है आठ फरवरी 2021 को केंद्र सरकार ने लोकसभा में बताया कि एक करोड़ 4 लाख 66 हजार 152 प्रवासी लॉकडाउन के दौरान अपने घरों को लौटे थे। इनमें से सबसे ज्यादा 32,49,638 प्रवासी उत्तर प्रदेश में लौटे तो दूसरे नंबर पर बिहार रहा जहां 15,00,612 प्रवासी शहरों से घर को लौटे और तीसरे नंबर पर पश्चिम बंगाल में 13,84,693 प्रवासी मजदूर और कामगार शहरों से अपने गांवों को लौटे हैं। पूर्व में इस संदर्भ में एक प्रयास किया गया था एवं एक निर्माण श्रमिक क़ानून (कंस्ट्रक्शन लेबर ऐक्ट) बनाया गया था। जिसके अंतर्गत एक सेस फ़ंड की स्थापना की गई थी।

स्वास्थ्य सुविधाओं की समस्या :

प्रवासी मजदूर किराए पर रह रहे थे उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती थी कि वे एक ही कमरे में अपने परिवार के साथ कैसे रहे अगर परिवार के किसी एक सदस्य को कोविड-19 हो जाता है तो वह कैसे एक ही कमरे में साथ रहे और क्योंकि उनके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं होता तो वह एक छोटे से कमरे में ही या तो साथ रहते हैं या तो जब उनके मकान मालिक को यह पता चलता है कि उसे कोविड-19 तो उसके लिए उस मकान में रहना ही दुखद हो जाता है पहली बात तो जब बातचीत से पता चलता है तो वह कोविड-19 बाद अपने किराएदार को वहां रहने नहीं देंगे या

तो उस समय उनके पास कोई अन्य विकल्प मुश्किल ही बचता है तो आप उनके सामने यह चुनौती आती है कि वह अपने परिवार को लेकर कहां और कैसे रहे सूचना के कमी के कारण उनको शेल्टर हाउस की जानकारी नहीं होती और इस भ्रम के कारण कई प्रवासी मजदूरों का पलायन होना कहीं ना कहीं शुरू हुआ ।

<u>निष्करष एवं सुझाव</u>

यह अनिश्चितता इस सवाल पर टिकी हुई है कि यह संकट कितने समय तक रहेगा, इससे अर्थव्यवस्था, जीवन और रोजगार को नुकसान होगा और बुनियादी स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं की उपलब्धता होगी। इसके आकार और प्रसार को देखते हुए, लॉकडाउन के तहत और उसके बाद भारत में प्रवासियों का प्रबंधन एक विशाल लॉजिस्टिक चुनौती का प्रतिनिधित्व करता है। शहरी आवास मंत्रालय और गरीबी उन्मूलन मंत्रालय द्वारा स्थापित कार्य समूह की रिपोर्ट (2017), ने देश में प्रवासी श्रमिकों की दुर्दशा की जांच की और 2017 में अपनी रिपोर्ट कें मोदी सरकार को सौंप दी। हालांकि, कार्रवाई रिपोर्ट अभी भी प्रतीक्षित है यह नीति पत्र प्रस्तुत करता है कि प्रवास और आजीविका की हमारी समझ कोविड -19 के आर्थिक और सामाजिक प्रभाव को कम करने की रणनीति तैयार करने में कैसे सहायक हो सकती है। केंद्र, राज्य और स्थानीय सरकारों और सिविल सेवा संगठनों को वृहद स्तर पर नीति विकसित करने और इसे लागू करने के लिए एकीकृत हस्तक्षेपों को मेसो और सूक्ष्म स्तरों पर लागू करना चाहिए ताकि प्रवासी श्रमिकों के कोविड संकट का समाधान किया जा सके।

भारत जैसे विशाल देश में जहां पर एक बड़ी जनसंख्या है और उसमें भी एक बडा प्रवासी कामगार वर्ग जोकि एक स्थान से दूसरे स्थान पर कमाई तथा शिक्षा हेतु आते हैं हमने देखा कि इन को लेकर देश में अत्यधिक समस्या है कहीं ना कहीं इनको मानसिक शारीरिक आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा का डर हमेशा बना रहता है सरकार जो भी योजना बनाये प्रवासी मजदूरो को केंद्र में रखकर बनाए क्योंकि इसमें एक बड़ा वर्ग ऐसी स्थित है जिसे तकनीकी ज्ञान का अभाव है और इसमें भी एक के दौर में कहीं ना कहीं सूचनाओं की कमी के कारण इनको लाभ का अभाव दिखाई पड़ा सरकार को आर्थिक रूप से कहीं ना कहीं इनको सहायता प्रदान करनी थी साथ ही कहीं ना कहीं एक समय देकर इनके नामांकन की प्रक्रिया भी पूरी करनी थी जिससे कि सरकार को लाभ पहुंचाते समय किसी भी परेशानी का सामना ना करना पड़े देश के समस्त देश के समक्ष एक बड़ी समस्या जो इनके पंजीकरण को लेकर है क्योंकि इनका एक स्थाई आंकड़ा सरकार के पास नहीं है जिसके कारण इनको वह अपने लाभ से वंचित रह जाते हैं सरकार को शेल्टर हाउस की व्यवस्था सुचारू रूप से सही सूचना के साथ करनी चाहिए थी और कहीं ना कहीं भोजन के लिए भोजन की

व्यवस्था एक स्थाई मापदंड अपना कर जो कि सभी परिवार तक पहुंच जाए ऐसा सुनिश्चित किया जाना चाहिए था खाद्य और पोषण संबंधी कार्यक्रमों, जल और स्वच्छता कार्यक्रमों, और रोजगार और आजीविका कार्यक्रमों से संबंधित विभिन्न सेवाओं के अभिसरण को प्रभावी बनाया जाना चाहिए। केंद्र और राज्य सरकारों के बीच तालमेल और समन्वय स्थापित करने का उच्च समय है। गैर-सरकारी संगठनों और निगमों जैसे स्वयं सहायता समूहों और समाज के अन्य हितधारकों की सहायता को स्वीकार करके महामारी से लड़ने के लिए अन्य एजेंसियों को जुटाने की आवश्यकता है।सबसे अधिक दबाव चुनौती है कि बेहतर स्वच्छता और स्वच्छता बनाए रखते हुए शिविरों / आश्रयों में भोजन और बुनियादी सुविधाएं प्रदान की जाएं। बुनियादी स्वास्थ्य देखभाल और निवारक किट (जैसे मास्क, सैनिटाइज़र और दस्ताने, आदि) का प्रावधान एक और निवारक अनिवार्य है। संभवतः संक्रमित व्यक्तियों की जांच करना और उन्हें प्रभावी ढंग से शांत करना और संक्रमण के प्रसार की जांच करने के लिए प्रवासियों के लिए सामाजिक दूरी बनाए रखना सरकार के समक्ष एक और चुनौतीपूर्ण काम है। संकट के तहत प्रवासियों को परामर्श और मनोवैज्ञानिक सहायता प्रदान करने के लिए सामाजिक कार्य व्यवसायों और गैर-सरकारी संगठनों के साथ साझेदारी करना प्रत्येक राज्य में जिला, गांव और स्थानीय स्तर पर आवश्यक है। अपने गंतव्यों पर फंसे प्रवासियों के लिए एक प्रामाणिक डेटाबेस का विकास राजमार्ग शिविरों और गांवों में प्रवासियों को लौटाने के लिए एक जलती हुई घटना है। साफ पानी की व्यवस्था , न्यूनतम मजदूरी का प्रावधान , मजदूरी कार्ड सामाजिक सुरक्षा निकटतम शेल्टर हाउस सुगम यातायात की व्यवस्था काम किराए पर की जानी चाहिए।प्रवासियों की मात्रा और विशेषताओं पर डेटा (शिविरों और घरेलू संगरोध में) की आवश्यकता है | श्रमिकों के लिए विशेष सामाजिक बीमा योजना भी लाई जा सकती है। जिसके अंतर्गत विशेष आपदा के समय श्रमिकों को खाने-पीने एवं रहने के सारे ख़र्च की प्रतिपूर्ति बीमा कम्पनी करे।आज भारत मे कामगार मजदूरों की स्थिति दयनीय है जिसे सरकार सख्त कानूनो द्वारा कम कर सकती है साथ ही उनको उनके अधिकारों से परिचय करवाने की आवश्यकता है इस प्रकार श्रमिकों के शहरों से पलायन को रोका जा सकता है।

संदर्भ

1. "प्रवासी मजदूरों के पलायन से देश के विकास मॉडल पर उठे बड़े सवाल." https://www.prabhasakshi.com/politics-articles/questions-on-development-model-of-india (accessed Apr. 20, 2021).
2. "लॉकडाउन का एक साल: महीने के 12,000-15,000 कमाने वाले प्रवासी रोजाना की 200 रुपए की दिहाड़ी करने को मजबूर." https://www.gaonconnection.com/desh/how-are-the-lives-of-migrant-laborers-and-workers-who-returned-to-the-villages-from-the-cities-after-the-lockdown-48928?infinitescroll=1 (accessed Apr. 20, 2021).
3. Alok, Anupriya. "Impact of COVID-19 on Migrant Workers: Issues and Challenges," no. 7 (2020): 10.
4. "Coronavirus Update: Food, shelter in government's aid plan for migrants amid lockdown | Hindustan Times." https://www.hindustantimes.com/india-news/covid-19-food-shelter-in-govt-aid-plan-for-migrants/story-QFq9CNdJaWWCA0ySgSv1DJ.html (accessed Apr. 20, 2021).
5. "दिल्ली: लॉकडाउन में फंसे प्रवासी मज़दूरों को खाने के लिए घंटों करना पड़ रहा इंतज़ार." http://thewirehindi.com/119152/how-are-migrant-workers-surviving-the-lockdown-in-delhi-bhalswa-dairy/ (accessed Apr. 20, 2021).
6. "COVID-19 Lockdown: How India Can Provide Food Grains to Stranded

Migrant Labourers." https://thewire.in/rights/covid-19-lockdown-india-food-grains-stranded-migrants (accessed Apr. 20, 2021).

7. D. Koh, "Migrant workers and COVID-19," *Occupational and environmental medicine*, vol. 77, no. 9, pp. 634–636, 2020.
8. A. Liem, C. Wang, Y. Wariyanti, C. A. Latkin, and B. J. Hall, "The neglected health of international migrant workers in the COVID-19 epidemic," *The Lancet Psychiatry*, vol. 7, no. 4, p. e20, 2020.
9. H. S. Gopalan and A. Misra, "COVID-19 pandemic and challenges for socio-economic issues, healthcare and national programs in India," *Diabetes & Metabolic Syndrome: Clinical Research & Reviews*, 2020.
10. Das, G. (2020, March 31). 136 Million jobs at risk in post-corona India. Livemint.https://www.livemint.com/news/india/136-million-jobs-at-risk-in-post-corona-india-11585584169192.html Davidson, P. (2020, Match Unemployment could top 32% as 47M workers are laid off amid coronavirus: St. Louis Fed. USA Today.
11. Mohanty M (2020) India needs to review its treatment of migrant labour. Money Control, 29 July 2020. Available at:https://www.moneycontrol.com/news/opinion/india-needs-to-review-its-treatment-ofmigrant-labour-5613901.html
12. Choudhari, R. (2020). COVID 19 pandemic: Mental health challenges of internal migrantworkers of India.Asian Journal of Psychiatry, 54, 102254.https://doi.org/10.1016/j.ajp.2020.102254. Advance online publication.
13. "Migrant workers in India: The pandemic pressure | Social Policy." https://blogs.lse.ac.uk/socialpolicy/2020/06/18/migrant-workers-in-india-the-pandemic-pressure/ (accessed Apr. 20, 2021).
14. "COVID-19 Lockdown: How India Can Provide Food Grains to Stranded Migrant Labourers." https://thewire.in/rights/covid-19-lockdown-india-food-grains-stranded-migrants (accessed Apr. 20, 2021).
15. "Lack of Documents and Registration Deprive India's Migrant Class of State Offered Benefits & Welfare Schemes | The New Leam." https://www.thenewleam.com/2020/12/lack-of-documents-and-registration-deprive-indias-migrant-class-of-state-offered-benefits-welfare-schemes/ (accessed Apr. 20, 2021).
16. "प्रवासी मजदूरों के पलायन से देश के विकास मॉडल पर उठे बड़े सवाल." https://www.prabhasakshi.com/politics-articles/questions-on-development-model-of-india (accessed Apr. 20, 2021).
17. "Delhi migrant workers | 'केस बढ़ रहे, जाहिर है लॉकडाउन लगेगा, अब घर ही सहारा', दिल्ली से कूच करने लगे प्रवासी मजदूर, Delhi: Amid rising cases of COVID-19, migrant workers leaves for their native places | Delhi News (दिल्ली समाचार)." https://www.timesnowhindi.com/delhi/article/delhi-amid-rising-cases-of-covid-19-migrant-workers-leaves-for-

their-native-places/342919 (accessed Apr. 20, 2021).

18. "Jobless rate hits all time high of 27.1% " The Economic Times (Mumbai Edition).
19. L. Che, H. Du, and K. W. Chan, "Unequal pain: a sketch of the impact of the Covid-19 pandemic on migrants' employment in China," *Eurasian Geography and Economics*, vol. 61, no. 4–5, pp. 448–463, 2020.
20. A. Pak, O. A. Adegboye, A. I. Adekunle, K. M. Rahman, E. S. McBryde, and D. P. Eisen, "Economic consequences of the COVID-19 outbreak: the need for epidemic preparedness," *Frontiers in public health*, vol. 8, 2020.
21. दिसम्बर 2015
22. नव भारत टाइम्स, नई दिल्ली, 24 दिसम्बर 2015
23. हिन्दुस्तान, नई दिल्ली, 5 जनवरी 2020
24. जनसत्ता, नई दिल्ली, 10 मार्च, 2020